न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारीः– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 102/2010

प्रार्थीः–

1. तहसीलदार(भूमिधारक), पाली

बनाम अप्रार्थीः–

1. श्रीमती आदिती तलवार पुत्र दर्शनलाल तलवार
2. श्रीमती जाह्नवी तलवार पत्नी विक्रम तलवार जाति खत्री निवासी 3/38 कमला नगर पाली
3. उछबकंवर बेवा जालमसिंह
4. नरेन्द्रसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपुत निवासी मण्डली खुर्द
5. श्रीमती चन्द्रकांता पत्नी राजेन्द्रप्रसाद मेहता जाति जैन निवासी महावीर नगर पाली

उपस्थितिः–

1. श्री केसरसिंह, तहसीलदार, पाली (सरकारी पैरोकार)
2. श्री मदनदास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी

<u>वाद अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:निर्णयः– दिनांक 27.08.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 58/2 रकबा 10.11 बिघा किस्म गै.मु. बेरा व चाही चारम, जमाबन्दी 2064–67 भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वर्णित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि है, पर अकृषि प्रयोजन हानिप्रद कार्य से उपयोग कर आंशिक भूमि पर मौके पर अनाधिकृत भूखण्ड बनाकर सड़क आदि का निर्माण कार्य करवाया जाकर कालोनी बनाई जा रही है। वर्णित कृषि भूमि के मूल भौतिक स्वरूप को नष्ट कर कृषि भूमि पर हानिप्रद कार्य करने से कृषि भूमि की उर्वरकता नष्ट करने के फलस्वरूप उक्त भूमि कृषि के योग्य नहीं रही है तथा भूमि की उर्वरकता व उत्पादकता शक्ति खत्म हो गई है। इस प्रकार खसरा नंबर 58/2 रकबा 10.11 बिघा किस्म गै.मु. बेरा व चाही चारम कृषि भूमि का अकृषि हानिप्रद कार्य करने व उपयोग किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर गैर कृषि उपयोग किया जाना राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 177 का उल्लंघन है। उपरोक्त भूमि को सिवाय चक घोषित किया जाकर अप्रार्थी को बेदखल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. अप्रार्थी को जरिये नोटिस निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया।

3. बहस उभयपक्ष की सुनी गई।

4. सरकारी पैरोकार तहसलीदार पाली ने जरिये प्रार्थना पत्र क्रमांक भू.अ./19/8263 दिनांक 13.08.19 पुत्र प्रस्तुत कर निवेदन कि खसरा नंबर 58/2 रकबा 10.11 बिघा भूमि वर्तमान में पाली शहर की पैरी फैरी सीमा के अन्तर्गत वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन के अनुसार आ चुके है। वर्ष 2013 में पाली शहर में नगर विकास न्यास भी स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमियों पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास, पाली का हो जाता है। इस प्रकरण में नगर परिषद पाली द्वार संयुक्त रूप से रूपान्तरण के नियमन पैटे स्वविवेक से गणना के आधार से रूपान्तरण राशि जरिये पुस्तक संख्या 755/55 दिनांक 20.01.11 को वसुल हो चुकी हैं।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेख का ध्यान–पूर्वक अवलोकन किया गया। सरहद मण्डलीखुर्द में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 58/2 रकबा 10.11 बिघा किस्म गै.मु. बेरा व चाही चारम है। वर्ष 2013 के नोटिफिकेशन अनुसार पाली शहर में नगर विकास न्यास स्थापित हो चुकी है ऐसी स्थिती में उक्त भूमि पर कार्यवाही के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार नगर विकास न्यास पाली का हो जाता है। अतः इस संबंध मे इस न्यायालय द्वारा आगे कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह जाती है। अतः क्षैत्राधिकार से बाहर हो जाने कारण अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 खारीज किया जाकर नगर विकास न्यास,पाली को सूचित किया जावें।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 177 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम, 1955 इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार के बाहर पाये जाने से तहसीलदार पाली का प्रार्थना पत्र/वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय की प्रति पत्र के साथ सचिव, नगर विकास न्यास, पाली को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

यह आदेश आज दिनांक 27.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

Scanned by CamScanner